



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-211/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ब्रहाचारिणी माइनिंग एंड मिनरल्स खनन पट्टा संख्या 10/2020 ग्राम रिछमालिया द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स ब्रहाचारिणी माइनिंग एंड मिनरल्स, खसरा संख्या 86/3240	10/2020	1.4448	रिछमालिया	ग्रेनाईट	85000
2	मैसर्स शक्ति माइंस एंड मिनरल्स एंड मैसर्स राशलीला इंटरप्राइजेज	68/2018	2.2302	रिछमालिया	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	40716
3	श्री प्रदीप कुमार टांक	15/2018	1.9816	रिछमालिया	ग्रेनाईट	92743
4	श्री तिरुपति अर्थ प्रोजेक्ट वर्क्स प्रा. लि.	65	1.30	रिछमालिया	ग्रेनाईट	28000
5	श्री केतन भाई पटेल पुत्र श्री नरसिंहभाई लखदास पटेल	66	1.3658	रिछमालिया	ग्रेनाईट	103895


कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.4124 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 350354 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम रिछमालिया, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स ब्रहाचारिणी माइनिंग एंड मिनरल्स खनन पट्टा संख्या 10/2020 ग्राम रिछमालिया ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील- पीसांगन, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रिछमालिया, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2022/14821 दिनांक 14.11.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27/12/2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रिछमालिया, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।


(दीपक तैवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी